सराहनीय कार्य
दिनांक 07.04.2019
पुलिस अधीक्षक कार्यालय मीडिया सेल गोण्डा

असलहा बनाने की फैक्ट्री का भण्डाफोड़, 02 अदद निर्मित, 01 अर्धनिर्मित असलहा व कारतूस सहित भारी मात्रा मे शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त –

01. वारिस अली उर्फ निबोले पुत्र रहमतुल्ला निवासी किन्धौरा थाना तरबगंज गोण्डा।

बरामदगी विवरण–

1. 01 अदद तमंचा 12 बोर
2. 01 अदद तमंचा 315 बोर
3. 03 खोखा कारतूस 12 बोर
4. 01 अदद अधबना तमंचा 12 बोर
5. 01 अदद लोहे की पंखी जिसमे एक साइकिल रिम लगी है
6. 05 अदद लोहे की नाल 12 बोर
7. 01 अदद पिलास, 01 अदद हथौड़ी, 01 अदद रेती, 01 अदद पेचकश, 01 अदद हेक्सा ब्लेड, 02 अदद सुम्ही, 03 अदद स्प्रिंग तथा कई लोहे के टुकडे

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 95/19 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आर0पी0सिंह द्वारा जनपद मे अवैध रूप से शस्त्र रखने व निर्माण में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के लिये समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व स्वाट टीम को सख्त निर्देश दिये थे। **जिसके क्रम में थाना तरबगंज पुलिस को बढी सफलता प्राप्त हुई।**

दिनांक 06.04.2019 को प्रभारी निरीक्षक तरबगंज को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि असलहा तस्करी व निर्माण मे संलिप्त **वारिस अली उर्फ निबोले पुत्र रहमतुल्ला निवासी किन्धौरा थाना तरबगंज गोण्डा** भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने का कार्य अपने घर में कर रहा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक तरबगंज मय टीम के साथ ग्राम किन्धौरा में दबिश देकर उक्त अभियुक्त को **गिरफ्तार कर मौके से भारी मात्रा में अवैध असलहे व असलहे बनाने के उपकरण बरामद किये गये।**

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना तरबगंज पर मु0अ0सं0 95/19 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीमः–

1. प्र0नि0 तरबगंज संजय कुमार दूबे।
2. हे0का0 सुरेशचन्द्र मिश्र।
3. हे0का0 अनिल कुमार।
4. का0 मनीष कुमार दूबे।
5. का0 राकेश यादव।
6. का0 बृजेश चतुर्वेदी।
7. चालक हे0का0 लालधारी यादव।

प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–07.04.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **60 वाहनों से मु0– 11900 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 11 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

04 वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 06.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 20 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है

थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राजेश पुत्र चन्द्रशेखर निवासी कोटिया कैदराबाद मौजा केशवनगर ग्रण्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–61/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **कुल– 20 विवेचनाओं** का निस्तारण किया गया।

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा अवैध कट्टे के साथ शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. विजय कुमार वर्मा पुत्र रामदेव वर्मा निवासी अमवा अशरफाबाद थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–155/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 07.04.2019 को प्रभारी निरीक्षक मनकापुर मय हमराह के साथ गस्त व क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अमवा अशरफाबाद में अवैध असलहा लिए खड़ा है और कही जानें की फिराक में है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मनकापुर मय हमराह फोर्स के साथ मुखबिर की सूचना व निशान देही पर पहुॅचकर कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर थाना मनकापुर में अभियुक्त के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता –

01. प्रभारी निरीक्षक मनकापुर आलोक राव।
02. उ0नि0 अनिल कुमार मिश्रा।
03. हेड का0 संजय सिंह।
04. हेड का0 मुबारक